

# न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी  
सीमा खेतान (आरटीएस)  
दिनांक-19.3.19

मि.न.- 97 / 2018

सरकार बनाम बुद्धाराम

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नांगल पण्डितपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2075 में वाके ग्राम टमोरीवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 307 रकबा 47.16 है0 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.01 है0 पर बुद्धाराम पुत्र हरनाथ जाति गुजर निवासी टमोरीवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने बोरिंग बनाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आया । गैरसायल ने मौखिक रूप से अतिक्रमण करना स्वीकार किया है पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तथा गैर सायल की स्वीकारोक्ति के अनुसार पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू- अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है। जिसके अनुसार खसरा नंबर 307 वाके ग्राम टमोरीवास की किस्म गै0 मु0 नदी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिस पर अतिक्रमण कर नदी के स्वरूप को क्षति पहुचाने का है जिसमे माननीय उच्च न्यायालय राज0 द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीसन न.1536/2013 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में निर्णय दिनांक 2.8.2004 में गै0मु0 नदी0 ,तालाब, जोहड,भराव,बहाव क्षेत्र की 1947की स्थिति कायम रखने के आदेश प्राप्त हैं ।

अतः गैरसायलान बुद्धाराम पुत्र हरनाथ जाति गुजर निवासी टमोरीवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा वाके ग्राम टमोरीवास के खसरा नंबर 307 / 47.16 है0 में से 0.01 है0 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी पर बोरिंग बनाकर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्ध होता है अतः अतिक्रमि के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के

विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः बुद्धाराम पुत्र हरनाथ जाति गुर्जर निवासी टमोरीवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम टमोरीवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 307/47.16 है0, किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मे से 0.01 है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर बनाई गई बोरिंग को घ्वस्त कर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा उक्त बोरिंग पर जारी शुदा विधुत कनक्शन विच्छेद की कार्यवाही की जावे व नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.11 का पचास गुणा 5.50 रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली, पैन्ल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । जारी शुदा अवैध विधुत कनक्शन विच्छेद हेतु सहायक अभियन्ता विधुत वितरण निगम लि0 कोटपूतली को लिखा जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 19.3.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

Sse